राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक प 1(16) सा.प्र./5/2009 दिनांक 11.2.13

आदेश

विभाग के अधिनस्थ समस्त विश्राम भवनों में नियमित मरम्मत विशेष रूप से जल सप्लाई सेनेटरी व बिजली संबंधी रोजमर्रा की मरम्मत कार्य तथा रोजमर्रा की टूट–फूट, रंग–रोगन संबंधी सिविल कार्य हेतु व्यवहारिक सुगमता एवं तुरंत सुधार की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के plumber, sanitary repairing एवं electricity repairing तथा छोटी टूट–फूट, आवश्यक रंग–रोगन व अन्य रोजमर्रा के आवश्यक कार्यों को सामान्य वित्तीय नियमों (G.F. & A.R.) की पालना करते हुए वार्षिक रखरखाव अथवा जब भी आवश्यकता हो। (A.M.C. or As and when required) के आधार पर उक्त कार्य करवाये जाने हेतु मैनेजर, सर्किट हाउस को अधिकृत किया जाता है।

इस प्रकार के मरम्मत कार्यों हेतु पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग को मरम्मत हेतु उपलब्ध करवायी जाने वाली राशि अब संबंधित मैनेजर, सर्किट हाउस को उपलब्ध करवायी जायेगी।

प्रत्येक मैनेजर, सर्किट हाउस यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रकार की रोजमर्रा की टूट–फूट एवं छोटी मरम्मत कार्य अपने स्तर पर तुरंत करवायें। इस हेतु यथावश्यक वे वार्षिक रखरखाव की संविदा कर सकेंगे अथवा आवश्यकतानुसार उक्त टूट–फूट सुधार हेतु व्यवस्था करवा सकेंगे। इस हेतु मैनेजर सामान्य वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करवायेंगे कि जब भी तकनीकी सहयोग/मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो संबंधित मैनेजर को अविलम्ब तकनीकी सहयोग प्रदान करवाया जायें।

उक्त व्यवस्था को सक्षम स्तर से आई.डी. संख्या F12006253 दिनांक 07.02.2013 CMO द्वारा अनुमति प्राप्त है।

चन्द्रमोहन मीणा
अतिरिक्त मुख्य सचिव

130

क्रमांक प.1(16)साप्र/5/2009 जयपुर दिनांक 11.2.13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, (वीपी) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी. क्रमांक एफ. 12006253 दिनांक 07.02.2013 के क्रम में।
2. संयुक्त सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
3. उप सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. समस्त कोषाधिकारी।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी सा.प्र. (ग्रुप–5)विभाग।
7. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस,राज. स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी,नई दिल्ली।
8. प्रबन्धक, समस्त विश्राम भवन,राजस्थान।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
10. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सा. प्र. विभाग।
11. पत्रावली संख्या 1(4)सा.प्र./5/2012 में रखने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव